श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग–सह–प्रभारी मंत्री जिला भागलपुर द्वारा दिनांक 08.05.2015 को भागलपुर जिले में आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के कार्यबिन्दु :–

दिनांक 08 मई 2015 को माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग–सह–प्रभारी मंत्री जिला भागलपुर द्वारा भागलपुर शहर की पेयजल एवं अन्य समस्याओं के संबंध में बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में भागलपुर एवं भागलपुर जिले के अन्य नगर निकायों के प्रतिनिधि, श्री सदानंद सिंह माननीय सदस्य विधान सभा, श्री अजीत कुमार शर्मा माननीय सदस्य विधान सभा, श्री दीपक भुवानिया, मेयर, भागलपुर, जिला पदाधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम उपस्थित थे। साथ ही बिहार राज्य जल पर्षद् के कार्यपालक अभियंता, बुडको के पदाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग उपस्थित थे।

2. **<u>विषयवस्तु पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत निम्नवत निर्देश दिये गये</u> :–**

(i) बिहार राज्य जल पर्षद् द्वारा वर्ष 2005–06 में लगभग 27 ट्यूबवेल गाड़े गये थे, जिनमें वर्तमान में बालुयुक्त पानी निकल रहा है, जो जनोपयोगी नहीं है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद् को निर्देश दिया जाता है कि वे स्वयं अभियंताओं के दल एवं आवश्यकतानुसार अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर के प्रतिनिधियों के साथ स्थल का निरीक्षण करें। वे समस्या का अध्ययन करके निराकरण करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए 7 दिनों में प्रतिवेदन समर्पित करें कि किस परिस्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

(ii) शहर में पेयजल की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा चिन्हित 15 महत्वपूर्ण स्थानों पर नये ट्यूबवेल नगर निगम के माध्यम से गड़वाये जाएं। इस हेतु राज्य योजना से निधि उपलब्ध करायी जाय। नगर निगम यह सुनिश्चित करेगी कि गुणवत्तायुक्त एवं समयसीमा के अंतर्गत ट्यूबवेल गड़वा दिया जाएगा। उन्हें जलापूर्ति व्यवस्था के समेकित नेटवर्क में संबद्ध किया जाएगा।

(iii) भागलपुर शहर की पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर समेकित परियोजना मंजूर की गयी है। इस परियोजना की प्रारंभिक तैयारी चल रही है। निर्माण कार्य अक्टूबर 2015 में प्रारंभ होनी है। बैठक में कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की स्थानीय व्यवधान नहीं है। इसके समन्वित कार्यान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। यह अपेक्षा की गयी कि महीने में एक बार यह समिति नियमित

रूप से इसकी समीक्षा करें। कार्यान्वियन एजेंसी को यह परामर्श दिया गया कि शहर के भविष्य में होने विकास को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा परामर्शित स्थानों पर पेयजल स्टोरेज हेतु टैंक बनाया जाय। उल्लेखनीय है कि इस योजना में 16 स्टोरेज टैंक एवं 374 कि०मी० पाईपलाईन का निर्माण होना है। बुडको के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि समयसीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(iv) शहर में नगर पार्षदों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयुक्त, नगर निगम के स्तर पर सप्ताह के एक बार समस्याओं को सुनने के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि शहर की समस्याओं से वे अवगत हो सकेंगे और उसका निराकरण करेंगे।

(v) आगामी मॉनसून को ध्यान में रखते हुए सभी नालों की उड़ाही प्रारंभ कर दी गयी है। निर्देश दिया गया कि सभी नालों की गहराई से उड़ाही कराना सुनिश्चित की जाय।

(vi) शहरी क्षेत्र के पात्र गरीब परिवारों को पेंशन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे इसका रोस्टर क्रम निर्धारित करके शीघ्र जारी करेंगे, जिसमें नगर निगम प्रशासन द्वारा समुचित सहयोग दिया जाएगा।

(vii) भागलपुर शहर के ठोस अवशिष्ट के निष्पादन हेतु कोई Land fill site अभी निर्धारित नहीं है। यत्र–तत्र कचरा डाल दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण हो रहा है। आयुक्त, नगर निगम द्वारा बताया गया कि उन्होंने खुली निविदा के माध्यम से शहर से लगभग 20 कि०मी० की दूरी पर 12 एकड़ जमीन चिन्हित की हैं। इस हेतु उन्होंने विभाग से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग इस प्रकरण की समीक्षा करके संचिका में उपस्थापित करेंगे ताकि नीतिगत तौर पर इस आशय का मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भू–अर्जन मद में बजटीय उपबंध रहता है, उससे निधि की व्यवस्था की जा सकती है।

(viii) भागलपुर के घंटाघर क्षेत्र में संप हाऊस बना हुआ है, जो चालू नहीं है। आयुक्त, नगर निगम इसे देखेंगे और अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

(ix) कहलगाँव नगर पंचायत में पेयजल के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई कि IL&FS के माध्यम से एक 49.00 करोड़ का डी०पी०आर० बनाया गया था, जिसकी अभी मंजूरी नहीं हुई है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कहलगाँव को निर्देश दिया गया कि वे इसका संदर्भ पुनः विभाग को भेजें।

(x) शहर में बस स्टैण्ड निर्माण के लिए बुडको के द्वारा निविदा प्रकाशित किया गया है। उसे विधिवत तरीके से अंतिम रूप दिया जाय और समयसीमा के अंदर निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. बैठक के उपरांत नगर निगम कार्यालय, भागलपुर का निरीक्षण किया गया। कार्यालय प्रबंधन संतोषजनक पाया गया। कार्यालय में उचित तरीके से कार्यों का निष्पादन होते हुए देखा गया। नगर निगम प्रशासन द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तीव्र गति से किया जा रहा है। राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। होल्डिंग के सर्वे एवं माँग के निर्धारण हेतु व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। यह बताया गया कि माह अगस्त तक सभी वार्डों के होल्डिंग का सर्वेक्षण एवं माँग का निर्धारण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

4. नगर निगम क्षेत्र में 50 मीटर गहराई तक ही हैंडपंप के गाड़े जाने के बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट किया गया। बिहार राज्य जल पर्षद् के कार्यपालक अभियंता से तकनीकी जानकारी लेकर नगर निगम अग्रेत्तर कार्रवाई करेगा।

5. आयुक्त नगर निगम, भागलपुर के स्तर पर बिहार राज्य जल पर्षद, बुडको एवं अन्य संबद्ध एजेंसियाँ, जो नगर क्षेत्र में काम कर रही है, उनके साथ सामयिक समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

6. शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ यथा पेयजल, स्ट्रीट लाईट एवं नालों की सफाई में और व्यापक सुधार लाने का निर्देश दिया गया। नगर निगम प्रशासन सरकार के निर्देश का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

11/5/15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 159/प्र०को० न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/5/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

11/5/15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 159/प्र०स०को० न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/5/15

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार–सह–प्रभारी मंत्री जिला भागलपुर के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 11/5/15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 159/प्र०स०को० न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/5/15

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, भागलपुर/आयुक्त नगर निगम, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद्, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 11/5
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 159/प्र०स०को० न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/5/15

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/विशेष सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 11/
प्रधान सचिव